न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 66/2011

अपीलांट

तोलाराम पुत्र अमाजी जाति मीणा, निवासी अगवरी, तहसील आहोर, जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. पेपीदेवी पत्नी वागारामजी जाति मीणा, निवासी मालपुरा तहसील आहोर, जिला जालोर।
2. रणजीतमल पुत्र अन्नाजी
3. जसोदा पत्नी रणजीतमलजी
4. तोगाराम पुत्र अन्नाजी
5. हीराराम पुत्र अन्नजी, जातियान मीणा, निवासीयान बेदाना नया, तहसील आहोर, जिला जालोर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर।
7. मारवाड ग्रामीण बैंक शाखा– गुडाबालोतान।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री गुणेशसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री मधुसुदन व्यास, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01
3. श्री चैनाराम पटेल, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 02 से 05
4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 06 की ओर से
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 07 बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 07.06.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा दावा संख्या 11/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर सरहद मौजा बेदाना के खसरा नंबर 479 रकबा 4.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 496 रकबा 6.58 हैक्टेयर कुल रकबा 10.75 हैक्टेयर आराजी का हक हिस्से अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली केम्प-जालोर

बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 479 रकबा 4.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 496 रकबा 6.58 हैक्टेयर कुल रकबा 10.75 हैक्टेयर कृषि आराजी में 1/3 हिस्सा मोहनलाल पुत्र जुंजाजी मीणा निवासी नवाखेडा जिला पाली के खातेदारी व कब्जा काश्त की राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी, जो संपूर्ण 1/3 हिस्से अपीलांट ने जरिये रजिस्ट्री मोहनलाल पुत्र जुंजाजी से पूर्ण प्रतिफल 1,90,000 रूपये देकर खरीद की। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अपीलांट की सगी बहन होने के कारण अपीलांट ने उसका नाम रजिस्ट्री के अंदर विश्वास के आधार पर दर्ज कराया था, रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने न तो कभी मौके पर काश्त की एवं नही बेचानकर्ता को प्रतिफल अदा किया। किन्तु केवल मात्र रेवेन्यु रेकर्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष बंटवाडे का दावा पेश किया जिस पर अपीलांट ने जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा खारिज करने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आठ तनकीयात कायम की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अलग-अलग निर्णीत किया जाना था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण प्रावधान का उल्लंघन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने प्रस्तुत वादपत्र में उक्त आराजी 4 लाख रूप्ये में खरीदना बताया है जबकि रजिस्ट्री में 1 लाख 90 हजार रूपये ही लिखा है। इसके अतिरिक्त पेपीदेवी ने अपने बयानो में यह बताया है कि बेरा तोलाराम ने अकेले अपने खर्चे से खोदकर कनेक्शन लिया है। एवं बेरे में मेरा कोई हिस्सा नहीं है। कनेक्शन बिल तोलाराम ही भरता हे। उक्त आराजी में कुल तीन बेरे बताये गये है जबकि दावे में एक भी बेरे का अंकन नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने दिनांक 14.10.2011 को उपस्थित होकर अन्तिम बहस हेतु तारीख आगे चाही थी, किन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 की बहस सुनी जाकर जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जबकि प्रकरण में मूल विवाद अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के बीच ही था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त की जाकर पत्रावली रिमांड की जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर सरहद मौजा बेदाना के खसरा नंबर 479 रकबा 4.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 496 रकबा 6.58 हैक्टेयर कुल रकबा 10.75 हैक्टेयर आराजी का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्टगण एवं अपीलांट की संयुक्त खातेदारी आराजी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने उक्त आराजी मोहनराम मेणा पुत्र जूजांजी से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख खरीद की है। एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 का वादग्रस्त आराजी पर वक्त खरीद से कब्जा काश्त है। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी के सबंध में बंटवाडे का दावा प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात कायम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

कर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर सरहद मौजा बेदाना के खसरा नंबर 479 रकबा 4.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 496 रकबा 6.58 हैक्टेयर कुल रकबा 10.75 हैक्टेयर आराजी का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अवलोकन किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बंटवाडा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर सरहद मौजा बेदाना के खसरा नंबर 479 रकबा 4.17 हैक्टेयर, खसरा नंबर 496 रकबा 6.58 हैक्टेयर कुल रकबा 10.75 हैक्टेयर आराजी का हक हिस्से अनुसार बंटवाडा कराने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 पेपीदेवी एवं अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी मोहनराम मैणा ने जरिये विक्रय विलेख से खरीद की है। उक्त विक्रय विलेख के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद वादग्रस्त आराजी के बंटवाडे के संबध मे प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। जो कि तारीख पेशी दिनांक 05.03.2009 को समस्त नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 05 की ओर वकील श्री गोपाल जीनगर द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 06 गैर हाजिर रहने से दिनांक 26.03.2009 को इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किया गया। उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 02 से 05 की तरफ से जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार दिनांक 18.09.2009 को प्रतिवादी संख्या 01 ने अपना जवाब मय फहरिस्त पेश किया। उक्त दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई। वादीया/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से गवाहान चतराराम, ओटाराम, पेपीदेवी ने दिनांक 25.08.2010 को शपथ पत्र पेश किये। उसके पश्चात उभयपक्षो की बहस सुनी जाकर तनकीयात कायम कर तनकीयात का विवेचन करते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। उपखंड अधिकारी आहोर द्वारा दावा संख्या 11/2009 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.10.

राजस्व अपील प्राधिकारी
... राजस्व-जालोर

2011 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली कैम्प-जालोर